

185

014-2227543

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: प.3 § 141-नियमन/11383-520

दिनांक: 21.3.01

समस्त सचिव,

कृषि उपज मण्डी समिति,

.....

विषय:- मण्डी समितियों द्वारा विभिन्न वर्ग के अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि अधिनियम 1961 की धारा 14 एवं राजस्थान कृषि उपज विपणि नियम 1963 के नियम 69 एवं 72 के तहत अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने हेतु मण्डी समिति सक्षम है ।

943/24

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि अनुज्ञापत्र संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही अगल में लाई जावे ।

"क" वर्ग क्लाल का अनुज्ञापत्र घोषित मुख्य मण्डी/गौण मण्डी प्रांगण में ही उपयुक्त दुकान होने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है एवं व्यापारी वर्ग का अनुज्ञापत्र भी मण्डी के प्राचयान्तर्गत निर्धारित आकाशकाल पर ही स्वीकृत किया जाये ।

मण्डी प्रांगणों में जिन व्यवसाय के इच्छुककर्ताओं ने निलामी में दुकानें भूखण्ड आवंटन प्राप्त किया है उन्हें भूखण्ड पर दुकान निर्माण हो जाने पर नियमानुसार अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जा सकता है ।

sh.D
4/24/3

निदेशक,

कृषि विपणन

जयपुर, दिनांक: 21.3.01

क्रमांक: प.3 § 141-नियमन/11383-520

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अति-निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर ।
- 2- संपुक्त निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर ।
- 3- मुख्यलेखाधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर ।
- 4- समस्त उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड
- 5- समस्त अधिकारीगण, कृषि विपणन निदेशालय, मुख्यालय, जयपुर ।

निदेशक

कृषि विपणन

ओग/21.3